

उत्तर प्रदेश शासन

चिकित्सा अनुभाग-8

संख्या-2890 /पांच-8-2020-जी0(290)/2017टी0सी0-11

लखनऊ: दिनांक 09 नवम्बर, 2020

**कार्यालय-जाप**

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर लोक सेवा आयोग, 30प्र0 प्रयागराज द्वारा वर्ष 2019 में किये गये चयन के फलस्वरूप पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर 2019 में 1307, पत्र संख्या-219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर 2019 में 565, पत्र संख्या-219(IV)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 27 फरवरी 2020 में 77 एवं पत्र संख्या-219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 15 जून, 2020 में 15 चिकित्साधिकारियों की नियुक्ति की संस्तुति के क्रम में प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के अन्तर्गत वेतनमान रू0. 15,600-39,100/- ग्रेड पे रू0 5400/- में एलोपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर संलग्न सूची के अनुसार मौलिक रूप से अस्थायी रूप से नियमित नियुक्ति प्रदान करते हुए उनके नाम के सम्मुख उल्लिखित **चिकित्सा इकाई एवं जनपद** में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अन्तर्गत तैनात करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- सम्बन्धित चिकित्साधिकारियों को प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2004 के नियम 18 के अधीन 02 वर्ष की परीक्षा पर रखा जायेगा।
- 2- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी का स्वास्थ्य परीक्षण मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा किया जायेगा और उक्त परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने के उपरान्त ही उन्हें कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। इस हेतु चिकित्साधिकारी अपने नियुक्ति पत्र सहित अपनी तैनाती के मण्डल के अपर निदेशक से शर्त **क्रमांक-5** में निर्धारित अवधि में सम्पर्क कर स्वास्थ्य परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे।
- 3- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी संलग्न निर्धारित शपथ पत्र के प्रारूप पर अपने चरित्र प्राग्वृत्त का सत्यापन स्वयं करेगा। उसमें यदि कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आता है, तो उनकी सेवायें शासन स्तर से तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
- 4- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी को उक्त वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत अनुमन्य मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते आदि भी देय होंगे। उन्हें 30प्र0 सरकारी डाक्टर(एलोपैथिक) प्राईवेट प्रैक्टिस पर निर्बन्धन नियमावली, 1983 यथासंशोधित शासनादेश संख्या-248/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97, दिनांक 01 फरवरी, 2003 एवं पुनः संशोधित शासनादेश संख्या-2746/सेक-2-पांच-2003-7(55)/97टी0सी0, दिनांक 28 मई, 2005 के अन्तर्गत प्राईवेट प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी और नियमानुसार प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।

क्रमशः

- 5- सम्बन्धित चिकित्सक पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के भीतर तक अपने पद पर कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अवधि के भीतर वे अपनी तैनाती के जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष उपस्थित होंगे तथा शर्त क्रमांक-7 में उल्लिखित समस्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। यदि वे उक्त निर्धारित अवधि में अपनी तैनाती के जनपद में योगदान की सूचना नहीं देते हैं, तो उनका अभ्यर्थन समाप्त करने पर शासन स्तर पर विचार किया जायेगा।
- 6- नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु चिकित्साधिकारियों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।
- 7- चिकित्साधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे:-
  - (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों से, जो सक्रिय सेवा में और उनसे पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके सम्बन्धी न हो, अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र (संलग्नक प्रारूप में)
  - (2) अभियोजन न चलाये जाने, न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने तथा चरित्र प्रागवृत्त सत्यापन में कोई प्रतिकूल तथ्य शासन के संज्ञान में आने पर सेवार्य समाप्त करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र (संलग्न प्रारूप पर)।
  - (3) 30प्र0 मेडिकल काउन्सिल द्वारा दिये गये स्थायी रजिस्ट्रेशन की 02 प्रतियां।
  - (4) ओथ एलीजियन्श का प्रमाण पत्र।
  - (5) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
  - (6) चल अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
  - (7) एक से अधिक जीवित पति/पत्नी न होने का प्रमाण पत्र।
  - (8) मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र।
- 8- संबंधित चिकित्सक को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शासनादेश संख्या-04/2020/197/चि0-3-2020-जी0-06/2013टी0सी0-11, दिनांक 07-02-2020 में विहित व्यवस्थानुसार अनुमन्य लाभ प्राप्त होंगे।
- 9- संलग्न सूची में अंकित चिकित्साधिकारियों में से यदि कोई चिकित्साधिकारी पूर्व से पी0एम0एच0एस0 संवर्ग में कार्यरत है, तो उसे यह लिखित रूप में विकल्प देना होगा कि वह पूर्व में की गयी नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहना चाहता है या वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर। यदि किसी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्तमान में की गई नियुक्ति के आधार पर सेवा में रहने का विकल्प दिया जाता है, तो उसके द्वारा पूर्व में की गई सेवा की गणना वरिष्ठता निर्धारण हेतु नहीं की जायेगी।
- 2- प्रान्तीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में उक्त चिकित्साधिकारी की वरिष्ठता लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित ज्येष्ठता क्रम के आधार पर यथासमय नियमानुसार निर्धारित की जायेगी।

क्रमशः

3- देश में कोरोना की गम्भीर महामारी से लाकडाउन के दृष्टिगत चिकित्सकों के स्वास्थ्य परीक्षण के संबंध में शासन के कार्यालय जाप संख्या-1098 /पांच-8-2020-जी0(290)/2017 टी0सी0-11, दिनांक 02-04-2020 द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।  
संलग्नक-तैनाती सूची 07 एवं शपथ पत्र का प्रारूप।

वी0 हेकाली झिमोमी  
सचिव।

संख्या- 2890 (1)/पांच-8-2020-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- संबंधित जिलाधिकारी।
- 3- सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या- 219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 10 अक्टूबर 2019, पत्र संख्या- 219(1)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 07 दिसम्बर 2019, पत्र संख्या- 219(IV)/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 27 फरवरी 2020 एवं पत्र संख्या- 219/93/डी0आर0/सेवा-8/2017-18, दिनांक 15 जून, 2020 के क्रम में।
- 4- महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, 30प्र0, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्ति आदेश को सर्व सम्बन्धितों को अपने स्तर से (रजिस्ट्री/ई-मेल के माध्यम से) उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। नियुक्ति में कोई भी परिवर्तन शासन स्तर से ही किया जायेगा।
- 5- सम्बन्धित मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, 30प्र0 को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नियुक्त किये गये चिकित्साधिकारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की तत्काल व्यवस्था करायें तथा चिकित्साधिकारी को स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपलब्ध करा दिया जाय, जिससे कार्यभार ग्रहण करने में अनावश्यक विलम्ब न हो, किन्तु मेडिकल बोर्ड द्वारा स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किये गये चिकित्साधिकारी के मामले में स्वास्थ्य परीक्षण करायें जाने हेतु शासन को सन्दर्भित किया जायेगा।
- 6- अधिशासी अधिकारी उत्तर प्रदेश तकनीकी सहयोग इकाई लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त आदेश को मानव सम्पदा साफ्टवेयर में अपलोड करने का कष्ट करें।
- 7- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 30प्र0, प्रयागराज।
- 8- संयुक्त निदेशक(कार्मिक/गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, 30प्र0, लखनऊ।

क्रमशः

- 9- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी को इस निर्देश के साथ कि वे नियुक्त चिकित्साधिकारी को मण्डलीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्वस्थ घोषित किये जाने पर निर्धारित तिथि तक उनके प्रस्तर-7(1) में उल्लिखित अभिलेखों को प्राप्त कर योगदान आख्या शासन को विलम्बतम एक सप्ताह में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित कोषाधिकारी, उ०प्र०।
- 11- सम्बन्धित चिकित्साधिकारी द्वारा महानिदेशक/निदेशक(प्रशासन) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि संबंधित चिकित्सक को उनके ई-मेल/रजिस्टर्ड डाक द्वारा उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 12- गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सेल

आज्ञा से,

( शिवगोपाल सिंह )

उप सचिव।

## कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।

पत्रांक संख्या-३फ/ए/२०१९/तैनाती-प्रस्ताव II/२०२०/५०००-१० लखनऊ: दिनांक १० / ११ / २०२०

शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-२८९०/पाँच-८-२०२०-जी०(२९०)/२०१७टी०सी०-II दिनांक ०९ नवम्बर, २०२० के क्रम में प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- १- सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
- २- उप सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-८
- ३- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- ४- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- ५- निदेशक (प्रशासन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र० लखनऊ।
- ६- सम्बन्धित अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण।
- ७- अपर निदेशक (गोपन), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०, लखनऊ।
- ८- सम्बन्धित मुख्य चिकित्साधिकारी/अधीक्षक।
- ९- सम्बन्धित नवनियुक्त चिकित्साधिकारी।
- १०- सम्बन्धित कोषाधिकारी।
- ११- गार्ड फाइल।

अपर निदेशक (कार्मिक)

10/11/2020

10/11/2020

कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2890/पांच-8-2020-जी0(290)/2017टी0सी0-11. दिनांक 09-11-2020 की तैनाती सूची

का संलग्नक-

क्र. सं.	चयन क्रमांक	अनुक्रमांक	चिकित्साधिकारी का नाम/पिता/पति का नाम/ पत्र व्यवहार का पता	श्रेणी	गृह जनपद	योग्यता/ विशेषज्ञता	तैनाती स्थल	जनपद
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	एस-1 (एस-1164ए)	53100175792	डा0 राजकुमार सिंह पुत्र श्री बृहम्देव सिंह पता-ग्राम मोहम्मदपुर पोस्ट मरहट जौनपुर, उ0प्र0 -223104	सामान्य	जौनपुर	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 वेवती खुर्द	मैनपुरी
2.	एस-09	53100343995	डा0 आलोक कुमार सिंह पुत्र श्री अजीत कुमार सिंह पता-ग्राम देवरार पोस्ट मुडियारी जिलाबलियायू0पी0-277001	सामान्य	बलिया	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 थाना दरियागंज	कासगंज
3.	एस-20	53100407044	डा0 सुरेन्द्र नाथ तिवारी पुत्र श्री राधेश्याम तिवारी पता-तृतीय-22 एनटीपी0सी0 कालोनी सिसवा अम्बेडकर नगर यू0पी0-224238	सामान्य	अम्बेडकर नगर	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 शमशेर गंज	मैनपुरी
4.	एस- 622	53100124141	डा0 गौरव सिंह पुत्र, सत्येन्द्र कुमार सिंह, पता- एन-8/180,आर-6, राजेन्द्र बिहार कालोनी नेवाडा, सुन्दरपुर वाराणसी, उ0प्र0 पिन- 221005	ओ0बी0सी0	वाराणसी	एम०बी०बी०एस०	पी0एच0सी0 घरसादा	सोनभद्र
5.	एस-1500	53100050703	डा0 आकांक्षा वर्मा पत्नी आशीष कुमार वर्मा, पता-185, धर्मशाला रोड, नवी पुरवा, जिला- हरदोई (उ0प्र0)	ओ0बी0सी0	हरदोई	एम0बी0बी0 एस0	प्राथ0 स्वा0 केन्द्र, कटेली	शाहजहाँपुर
6.	एस-1718	53100232264	डा0 सौरभ आनंद पुत्र श्री सुभाष चन्द्र, गा0 अमनगाबाद, पो0 अतरौरा, जिला- संत कबीर नगर, (उ0प्र0) पिन- 272175	अनुसूचित जाति	संत कबीर नगर	एम0बी0बी0 एस0	पी0एच0सी0 विशारगंज	बस्ती
7.	एस-1803	53100436559	डा0 प्रीती कुमारी पुत्री, श्री चन्द्र प्रकाश प्रजापति पता-मकान नं0-12, गा0 निजामाबाद जिला आजमगढ़ उ0प्र0 पिन-276206	ओ0बी0सी0	आजमगढ़	एम0बी0बी0एस0	पी0एच0सी0 शेरपुर कुडिया	शाहजहाँपुर

( शिवगोपाल सिंह )  
उप सचिव।